राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू

प्रार्थना पत्र सं. 53/ 2019 आदेश दिनांकः– 11.12.2019

अनुवानी

परमेश्वरी बनाम राजस्थान सरकार

—: आदेश :—

प्रार्थिनी श्रीमती परमेश्वरी पत्नी जेसराज जाति माली निवासी बालरासर आथुणा ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम ढाढरिया बणीरोतान पटवार मण्डल ढाढरिया बणीरोतान तहसील चूरू जिला चूरू की चालू जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 112 में खातेदार का नाम परमेश्वरी पत्नी जैसाराम अंकित है जो सही नहीं है। जिसे सही व शुद्ध रूप से परमेश्वरी पत्नी जेसराज अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जांच पटवारी हल्का ढाढरिया बणीरोतान से करवाने पर पटवारी ने परमेश्वरी पत्नी जैसाराम के बजाय परमेश्वरी पत्नी जेसराज करना उचित बताया। तहसीलदार, चूरू ने भी उक्त खाते में परमेश्वरी पत्नी जैसाराम के बजाय परमेश्वरी पत्नी जेसराज करना उचित बताया। प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् आधार कार्ड सं. 912128861397, पेन कार्ड संख्या ALXPM2643M, भामाशाह कार्ड संख्या YFGOEDC, परिवार राशन कार्ड संख्या 007049200774, पट्टा विलेख 787 नगरपालिका, सरदारशहर एवं जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के पहचान पत्र आदि समस्त दस्तावेजों में प्रार्थिनी के पति का नाम जेसराज अंकित है परन्तु जमाबन्दी में प्रार्थिनी के पति का नाम जैसाराम दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य पाया जाता है।

अतः पटवारी हल्का एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 369 राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 का स्वीकार किया जाकर ग्राम ढाढरिया बणीरोतान के खाता संख्या 112 में खातेदार का नाम परमेश्वरी पत्नी जैसाराम के स्थान पर सही एवं शुद्ध रूप से परमेश्वरी पत्नी जेसराज दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरू तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।

उपखण्ड अधिकारी,
(Land Record Officer)
चूरू